रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275382
CG-DL-E-11082026-275382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4281] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948
No. 4281] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

का.आ. 4459(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पंचकुला' (पैन: AAAGC0054R), जो 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' (1987 का 39) द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

(ग) न्यायालय के आदेश के तहत प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा

(ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन निम्न शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पंचकुला' (पैन: AAAGC0054R),-

(क) किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में संलिप्त नहीं होगी;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी; तथा

(ग) कार्यकलापों और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे कर वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी।

3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 113 /2026/फा. सं. 300196/6/2026-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव